माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी (भिण्ड)

करतार सिंह भदौरिया आयु– 45 वर्ष, पुत्र स्व. श्री बैजनाथ सिंह भदौरिया, निवासी– ग्राम सिरसी थाना अमायन, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

1. उदयवीर सिंह पवैया पुत्र श्री पानसिंह पवैया, निवासी– ग्राम छैंकुरी, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा नायब तहसीलदार मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.)
3. पटवारी ग्राम सिरसी, तहसील मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.) ....अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड के समक्ष विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 22 / 2014–15 / बी.–121 मध्यप्रदेश शासन बनाम उदयवीर सिंह जिसके द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा पूर्व में प्रकरण क्रमांक 12 / 14–15 / अ–74 में पारित आदेश दिनांक 04 / 04 / 15 को पुनः संज्ञान में लेकर पुर्नवलोकन हेतु दिनांक 13 / 05 / 15 को संज्ञान में लिया है। पुर्नवलोकन के उक्त प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने हेतु आदेश एवं निर्देश जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सेवा में निगरानी प्रार्थना पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1. यहकि, अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव जिला भिण्ड की ओर से न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 12 / 14–15 / अ–74

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

III / निगरानी / भिण्ड / 2017 / 2383

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-05-17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर भिण्ड के आदेश दिनांक 04-4-2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26-7-17 को प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। दो वर्ष के दिन-प्रतिदिन विलम्ब का समाधानकारक कारण बतलाये जो पर ही निगरानी को सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी अवधिबाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	